झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–161 / 2019

रंजीत कुमार, उम्र लगभग 46 वर्ष, पे0–स्वर्गीय अशोक शर्मा, निवासी ग्राम–पुरानी कालीमेला, यू0एल0–3, सामुदायिक केंद्र के पीछे, डाकघर–जामाडोबा, थाना–जोरापोखर, भौरा के अपोजिट / उल्टा, जिला–धनबाद

.....याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. श्रम आयुक्त, झारखंड सरकार, नेपाल हाउस, डाकघर + थाना–डोरंडा, जिला–रांची
3. राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ (आई0एन0टी0यू0सी0) द्वारा श्री एस0एस0 जामा, क्षेत्रीय अध्यक्ष, आर0सी0एम0एस0, टिस्को क्षेत्रीय कार्यालय, डाकघर–जीलगोरा, थाना–जोरापोखर, जिला–धनबाद
4. संतोष महतो, चुनाव अधिकारी, (क्षेत्रीय सचिव, आर0सी0एम0एस0), टिस्को क्षेत्रीय कार्यालय, डाकघर–जीलगोरा, थाना–जोरापोखर, जिला–धनबाद

..... विपक्षी गण

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद**

याचिकाकर्त्ता के लिए : श्री आदित्य रमन, अधिवक्ता।

विपक्षी गण के लिए : श्री समीर प्रसाद, अधिवक्ता।

04 / दिनांकः19वीं जून, 2020

पार्टियों के लिए विद्वान अधिवक्ताकी सहमति से इस मामले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना गया है। उन्हें किसी भी ऑडियो और दृश्य कनेक्टिविटी के बारे में शिकायत नहीं है।

इस सिविल मिस0 याचिका को डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–5742 / 2018, जिसे गैर–अभियोजन की वजह से दिनांक 31.01.2019 को खारिज कर दिया गया था, को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापन हेतु दायर किया गया है।

दूसरे पक्ष का प्रतिनिधित्व श्री सुमीर प्रसाद, विरोधी पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया है।

याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि रिट याचिका, डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–5742 / 2018 को दिनांक 31.01.2019 को गैर'–अभियोजन के कारण खारिज कर दिया गया है।

श्री सुमीर प्रसाद, विपरीत पक्षों के विद्वान अधिवक्ता ने कोई आपत्ति नहीं जताई है, बल्कि उन्होनें यह स्पष्ट रूप से निवेदन किया है कि रिट याचिका को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जा सकता है ताकि मामले को मेरिट के आधार पर सुना और निर्णय लिया जा सके।

यह न्यायालय, पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने और उनकी ओर से प्रस्तुत निवेदनों और याचिका में दिए गए कारण पर विचार करने के बाद, रिट याचिका डब्ल्यू0पी0(सी0) सं0–5742/2018 को पुनःस्थापित करने के लिए इसे उचित और उपयुक्त मानता है।

इसके मद्देनजर, रिट याचिका डब्ल्यू0पी0(सी0) सं0–5742/2018 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया गया है।

परिणामस्वरूप, इस सिविल मिस0 याचिका का निपटारा किया जाता है।

(राजेश शंकर, न्याया0)